

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

मु. नं. 5/10 फर्द अहकाम तारीख न्यू 28-9-10
 उनवान - कानूनवात 1/5 लक्ष्मीनारायण वर्मा
 इजराय
 डिक्लीट वकील श्री सुरेश चन्द्र शर्मा ने इजराय
 पालना हेतु पेश की। अवलोकन किया गया।
 इजराय दर्ज रजिस्टर करें। इजराय की पालना
 हेतु तहसीलदार टोडाभीम को लिखा जावे।
 पत्रावली दिनांक 20.10.10 को पेश हो।

466/
28/9/10

उप जिला कलेक्टर
टोडाभीम (कर्मचारी)

6/10
 श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा ने माननीय न्यायालय राजस्व
 गेडले राजस्थान अजमेर में न्यायालय राजस्व अधीन अधिन
 स्वयं माधोमुक्त के निर्वाह दिनांक 31.8.10 की क्रियावित्ति पर
 स्वयं पेश किया। पत्रावली तलब की गई/स्वयं की
 प्रति तहसीलदार टोडाभीम को कार्यवाही हेतु लिखा जावे।

जारी
4932
6/10/10

उप जिला कलेक्टर
टोडाभीम (कर्मचारी)

39.20
 प्रकरण में अपीलिय न्यायालय में वर्तमान स्थिति
 से अवगत कराने के लिए डिक्लीट को तलब कले
 पर डिक्लीट 1/2 व 2 तथा वकील डिक्लीट उपस्थित
 हुए। वर्तमान जमाबंदी सं. 2006-79 की प्रति प्रस्तुत
 कर कथन किया कि प्रकरण में अब कार्यवाही की
 आवश्यकता नहीं है। इजराय पत्रावली Not-Press में
 खारिज कर दी जावे। अतः यह इजराय Not-Press
 में खारिज की जाती है। पत्रावली के सल सुमार
 होकर नखर से कम होकर दाखिल दफतर हेतु

राजेश शर्मा

गोपबन्धु

1. Not Press
2. प्रकरण